

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
प्रभागीय वार्षिक हिंदी पुरस्कार योजना
मानदंड

क्रम सं.	मद	मानदंड			
1.	पिछले एक वर्ष में हिंदी की तिमाही रिपोर्ट समय पर भेजने के लिए	तिमाही समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 1 अंक)	तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों बाद भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	अधिकतम देय अंक (16)
	प्राप्तांक				
2.	तिमाही रिपोर्ट पूरी और सही तरह भरकर भेजने के लिए	पूरी और सही रिपोर्ट भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	1 मद में अधूरी और गलत रिपोर्ट भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 1 अंक)	1 से अधिक मदों में अधूरी और गलत रिपोर्ट भेजने पर (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	16
	प्राप्तांक				
3.	धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए	सभी कागजात द्विभाषी जारी करने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	90% से अधिक कागजात द्विभाषी जारी करने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 1 अंक)	90% से कम कागजात द्विभाषी जारी करने के लिए (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	16
	प्राप्तांक				
4.	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के लिए	हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	हिंदी में प्राप्त 90% से अधिक पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 1 अंक)	हिंदी में प्राप्त 90% से कम पत्रों के उत्तर हिंदी में देने पर (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	16
	प्राप्तांक				
5.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के लिए	अंग्रेजी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	अंग्रेजी में प्राप्त 90% से अधिक पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 1 अंक)	अंग्रेजी में प्राप्त 90% से कम पत्रों के उत्तर हिंदी में देने पर (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	16
	प्राप्तांक				
6.	'क' क्षेत्र को अपनी ओर से पत्र हिंदी में भेजने के लिए	सभी पत्र हिंदी में भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	75% से अधिक पत्र हिंदी में भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	75% से कम पत्र हिंदी में भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	16
	प्राप्तांक				

7.	‘ख’ क्षेत्र को अपनी ओर से पत्र हिंदी में भेजने के लिए	सभी पत्र हिंदी में भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	75% से अधिक पत्र हिंदी में भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 1 अंक)	75% से कम पत्र हिंदी में भेजने पर (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	16
	प्राप्तांक				
8.	‘ग’ क्षेत्र को अपनी ओर से पत्र हिंदी में भेजने के लिए	65% पत्र हिंदी में भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	50% पत्र हिंदी में भेजने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 1 अंक)	50% से कम पत्र हिंदी में भेजने पर (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	16
	प्राप्तांक				
9.	हिंदी में टिप्पण के लिए	75% टिप्पण हिंदी में करने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 4 अंक)	50% टिप्पण हिंदी में करने के लिए (प्रत्येक तिमाही में 1 अंक)	50% से कम टिप्पण हिंदी में करने पर (प्रत्येक तिमाही में शून्य अंक)	16
	प्राप्तांक				
10.	प्रभाग की रबड़ की मुहरों, पत्र शीर्षों, बोर्डों, नाम-प्लेटों, फॉर्मों, रजिस्ट्रों, साइन बोर्डों, मानक मसौदों, विजिटिंग कार्डों आदि के नियमानुसार द्विभाषी होने के लिए	100% द्विभाषी होने के लिए (वर्ष में 2 अंक)	90% द्विभाषी होने के लिए (वर्ष में 1 अंक)	90% से कम द्विभाषी होने के लिए (वर्ष में शून्य अंक)	2
	प्राप्तांक				
11.	बैठकों की कार्यसूचियों और कार्यवृत्तों का अनुवाद न कराकर स्वयं द्विभाषी तैयार करना और जारी करना	वर्ष में 80% से अधिक बैठकों के कागजात स्वयं द्विभाषी जारी करने के लिए (3 अंक)	वर्ष में 60% से अधिक बैठकों के कागजात स्वयं द्विभाषी जारी करने के लिए (1 अंक)	वर्ष में 60% से कम बैठकों के कागजात स्वयं द्विभाषी जारी करने पर (शून्य अंक)	2
	प्राप्तांक				
12.	हिंदी संबंधी सूचनाएँ समय पर देने के लिए	सूचनाएँ निर्धारित तिथि तक देने के लिए (2 अंक)	सूचनाएँ निर्धारित तिथि से 1 दिन बाद तक देने के लिए (1 अंक)	सूचनाएँ निर्धारित तिथि से 1 दिन बाद भी न देने के लिए (शून्य अंक)	2
कुल प्राप्तांक					/150